बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री चन्द्रशेखर झा (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 215/19 (745/11), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 71(प्र0) दिनांक 12.07.2025 द्वारा आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया।

श्री झा के विरूद्ध आरोप की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त आरोप–पत्र के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री झा के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है :–

1. श्री चन्द्रशेखर झा (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 215/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर के कार्यकाल के दौरान कार्यालय के विभिन्न मदों के बैंक खातों से मो0 4,52,88,246.00 (चार करोड़ बावन लाख अट्ठासी हजार दो सौ छियालीस रूपये) की अवैध निकासी की गई।
2. श्री झा द्वारा अपने कार्यकाल में उक्त जमा एवं निकासी के मामले का संज्ञान एवं नियमानुकूल कार्रवाई नहीं किया जाना लापरवाही का द्योतक है।
3. श्री झा के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती के कार्यकाल के दौरान बरती गई अनियमितता के लिए सी०बी०आई० कांड संख्या RC023 2018 S0015, दिनांक 16.08.2018 में विधि विभाग के आदेश संख्या–एस०पी०(नि०)–13/2024–182/जे0, दिनांक 04.10.2024 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है।

विभागीय पत्रांक 16590 दिनांक 03.09.2025 द्वारा श्री झा से प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तदोपरान्त श्री झा के पत्रांक 81/धनबाद दिनांक 29.09.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) में कार्रवाई चलाये बिना पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के तहत् सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही, इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवेदित आरोप की अवधि कारण–पृच्छा की तिथि से चार वर्ष से अधिक पुराना है।

श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि नियम–43(बी) में कार्रवाई करने के बाद ही बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 में कार्रवाई की जा सकती है। नियम–139(ग) में यह भी उल्लेखित है कि अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वीकृति संबंधित आदेश को पुनरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है या उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान करने और उससे जवाब प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए, पर इस शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन स्वीकृति की तिथि से तीन साल के बाद नहीं की जायेगी।

श्री झा के सेवाकाल में बरती गयी अन्य अनियमितता के लिए पूर्व में दंड अधिरोपित है एवं अभियोजन भी स्वीकृत है, जो अग्रलिखित है–

(कृ0पृ0उ0)

1. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के पदस्थापन काल में संकल्प ज्ञापांक 2418 दिनांक 03.02.2023 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2014–15), (ii) दिनांक 27.02.2023 तक के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर अवनति का दण्ड।

2. सी०बी०आई० कांड सं0–RC023 2018 S0015 दिनांक 16.08.2018 में विधि विभाग के आदेश संख्या–एस0पी0(नि0)–13/2024–182/जे0 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है।

विदित हो कि विधि विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश के क्रम में यह उल्लेख किया गया है कि "सी०बी०आई० द्वारा अनुसंधान के उपरांत समर्पित सी०बी०आई० रिर्पोट, अभिलेखीय साक्ष्य एवं साक्षियों के बयान के परिशीलन से पाया गया है कि सी०बी०आई० कांड स०–RC023 2018 S0015, दिनांक 16.08.2018 के अभियुक्त श्री चन्द्रशेखर झा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने पदस्थापन अवधि में अवैध रूप से एवं निजी लाभ हेतु विभिन्न चेकों द्वारा विभिन्न तिथियों को षडयंत्र एवं जालसाजी के तहत करोड़ों रूपये सरकारी राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, सबौर, भागलपुर के खाते में हस्तांतरित किया गया। उनके द्वारा अपनी पत्नी (बबीता झा) के नाम से वसुंधरा, गाजियाबाद में बुक किये गये फ्लैट का भुगतान कराने, सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, सबौर, भागलपुर में खाता खुलवाने, जबकि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, सबौर, भागलपुर को बैकिंग कारोबार की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी, का साक्ष्य पाया गया है। इस प्रकार कांड के अभियुक्त श्री चन्द्रशेखर झा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर के विरूद्ध सरकारी राशि के दुर्विनियोग कर राशि के गबन का आरोप प्रमाणित होता है।"

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री झा के सेवा को असंतोषजनक पाते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22606 दिनांक 05.12.2025 द्वारा ***"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"*** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश को निरस्त करने हेतु श्री झा के पत्रांक–01–Camp Dhanbad दिनांक 19.01.2026 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्नलिखित बिन्दु उठाया गया हैं :–

(i) नियम–139(ग) में उल्लेखित कि अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वीकृति आदेश को पुनरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है। यदि सरकार को यह समाधान हो जाए कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है या उनका कार्य असंतोषजनक रहा है, को आधार बनाते हुए मेरे विरुद्ध मेरे सेवा काल में पूर्व में अधिरोपित दंड एवं अभियोजन स्वीकृत है, को आधार बनाया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि एक आरोप जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के पदस्थापन काल में निन्दन एवं दिनांक 27.02.2023 तक के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर अवनति का दंड दिया गया था। उक्त दंड के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होगा कि दंड जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के पदस्थापन काल का था, जो वर्ष 2014–15 का था, जिसमें वर्ष 2023 में इन्हें लघु दंड दिया गया था। जिससे स्पष्ट है कि पूर्ण सेवाकाल में जो एक मामले पत्र में उल्लेखित किया गया है, उसमें मुझे लघु दंड दिया गया है, तो लघु दंड के आधार पर यह कहा जाना कि मेरी सेवा असंतोषजनक है, वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

(कृ०पृ०उ०)

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि **बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(ग) के अनुसार–**

"अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वीकृति संबंधित आदेश को पुनरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है, यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर क्रेदाचार का पर्याप्त सबूत है या उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान करने और उससे जवाब प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए, पर इस शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन स्वीकृति की तिथि से तीन साल के बाद नहीं किया जाना चाहिए।"

बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(ग) के तहत श्री झा के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार के पर्याप्त सबूत या उनका कार्याकल पूर्ण रूप से असंतोषप्रद रहने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में श्री झा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैती, भागलपुर के कार्यकाल के दौरान कार्यालय के विभिन्न मदों के बैंक खातों से 4,52,88,246/–रू0 की अवैध निकासी करने का आरोप है एवं तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के विरुद्ध अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने, भ्रामक एवं अस्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित कर उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने तथा आदेशों की अवहेलना कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोपों के लिए विभाग द्वारा निन्दन (आरोप वर्ष 2014–15) एवं दो वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दंड संसूचित किया गया है, जो श्री झा की सेवा अवधि में घोर कदाचार को दर्शाता है।

(ii) पुनः श्री झा का कहना है कि मेरे विरुद्ध सी०बी०आई० कांड सं0–RC023 2018 50015 दिनांक 16.08.2018 में विधि विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृत है, को आधार बनाया गया है। अभियोजन स्वीकृति में विधि विभाग के पत्र का उल्लेख करते हुए मेरी सेवा को असंतोषजनक बताते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139(ग) का उल्लेख किया गया है, के संबंधित यह कहना आवश्यक है कि अभियोजन स्वीकृति सरकारी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध देने का नियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ–साथ CrPC की धारा–197 में है। बिना उक्त अभियोजन स्वीकृति के माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। मा० न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद उसका विचारण सक्षम न्यायालय में होता है। मेरे मामले में अब तक संबंधित वाद का विचारण सक्षम न्यायालय में हो रहा है और अब तक दोष सीद्धी भी नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन स्वीकृति को आधार बनाकर पूर्ण पेंशन रोका जाना वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

विदित हो कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) एक प्रमुख केन्द्रीय जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार के मामले एवं महत्वपूर्ण अपराधिक मामलों में जाँच करती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–19 के साथ साथ CrPC की धारा–197 में प्रावधान है कि किसी लोक सेवक पर केस चलाने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी है। सी०बी०आई० द्वारा श्री झा के विरुद्ध दर्ज कांड से स्पष्ट है कि जाँच एजेंसी को विश्वास है कि श्री झा के संज्ञान में ही राशि की अवैध निकासी की गयी हैं एवं प्रथम दृष्टया वे दोषी है। उक्त मामले में विधि विभाग द्वारा श्री झा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त आरोप में ही विभाग के स्तर पर श्री झा के वर्णित कृत्य को घोर कदाचार मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के तहत सीधे अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित किया गया है।

(कृ0पृ0उ0)

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त श्री झा द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में कुछ भी नया तथ्य नहीं दिया गया है और न ही सरकारी राशि के गबन नहीं करने के संबंध में कोई साक्ष्य दिया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के आलोक में अधिरोपित दंड के संबंध में पुनः विचार किया जा सके।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री झा से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22606 दिनांक 05.12.2025 द्वारा ***"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"*** के दंड को बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयनुसार श्री चन्द्रशेखर झा (सेवानिवृत्त, बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 215/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22606 दिनांक 05.12.2025 द्वारा ***"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"*** के दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–19/2023–सा0प्र0– 3874 **/पटना, दिनांक–** 24.2.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/पुलिस उप महानिरीक्षक, सी0बी0आई0, ए0सी0बी0, पटना (डॉ0 एस0के0 सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800022)/श्री चन्द्रशेखर झा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 215/19 (745/11), सम्प्रति सेवानिवृत्त **पत्राचार का पता**–विनोद नगर त्रिमूर्ति मंदिर के पास, थाना+पोस्ट–धनबाद, जिला–धनबाद (झारखंड)–826001, मो0नं0–9934197270/वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.26

सरकार के अवर सचिव।